

॥ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ॥

पीलासीन अधिकारी - श्री चारि लाल सोहनवाल, अलवर-२०२१०६

कैम्प - ग्राम जयपाल नगडवाडा

राजस्थान काय सं० ३/३

तारीख रजत ०१.०४.२०२१

०१- रामनिवास पुत्र हरदयाल जीत श्री भूरामन जति अहीर (यादव)  
मियासी लोधाडी तहसील व जिला अलवर -प्रार्थी

कनाम

०१- राजस्थान सरकार जय तहसीलदार (मुम्बिछारी) अलवर -अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ मू राजस्थान अधिनियम १९५६

- निर्णय :-

दिनांक २१.१२.२०२१

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ मू राजस्थान अधिनियम १९५६ प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोधाडी तहसील अलवर के खाता संख्या नया १९८ का १/२० भाग, खाता संख्या नया २ का ४१/२२० हिस्सा, खाता संख्या नया २० का २/७५ हिस्सा, खाता संख्या नया २०२ का २/५ हिस्सा, खाता संख्या नया २२ का २/७५ हिस्सा, खाता संख्या नया २५ का २/३७५ हिस्सा, खाता संख्या नया ३० का १/१६५ हिस्सा, खाता संख्या नया ८२ का १/३० हिस्सा, खाता संख्या नया ८६ का १/५ हिस्सा, खाता संख्या नया ८७ का १/१० हिस्सा, खाता संख्या नया ८८ का १४/७५ हिस्सा, खाता संख्या १५३ का १/२ हिस्सा, खाता संख्या नया १५७ का १४/६७५ हिस्सा, खाता संख्या १५८ का ३४/२१७५ हिस्सा, खाता संख्या नया १५९ का २/१२५ हिस्सा, खाता संख्या ८९ का २४/१२५ हिस्सा, खाता संख्या नया ९० का १/६५ हिस्सा, खाता संख्या १६० का १/५० हिस्सा, खाता संख्या नया ८६ का १/५ हिस्सा, खाता संख्या नया १७१ का ९/३८ हिस्सा, १८० का १/१०५ हिस्सा, खाता संख्या नया १८७ का ३/२९० हिस्सा,

उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राज०)

खाता संख्या नया 19 का 2/75 हिस्सा एवं ग्राम नोरंगाबाद तहसील व जिला अलवर में स्थित है आराजी खाता संख्या नया 190 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 202 सम्पूर्ण खाता, खाता संख्या नया 257 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 71 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या नया 72 का 1/5 हिस्सा, एवं ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर में स्थित आराजी खाता संख्या 224 का 1/45 हिस्सा, खाता संख्या नया 256 का 2/225 हिस्सा, खाता संख्या नया 261 का 1/75 हिस्सा, खाता संख्या 262 का 14/625 हिस्सा, खाता संख्या 263 का 53/2100 हिस्सा, खाता संख्या नया 267 का 154/6375 हिस्सा, खाता संख्या नया 31 का 2/75 हिस्सा, खाता संख्या नया 32 का 14/2025 हिस्सा, खाता संख्या नया 33 का 1/50 हिस्सा, खाता संख्या नया 44 का 14/2175 हिस्सा, खाता संख्या नया 52 का 2/1125 हिस्सा, खाता संख्या नया 161 का हिस्सा है। उक्त आराजी में उक्त हिस्से का अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रार्थी के पिता हरदयाल पुत्र भूरुराम जाति अहीर निवासी ग्राम लोधाडी तहसील अलवर था, जिसका स्वर्गवास दिनांक 12.01.2019 को हो गया है। हरदयाल की विरासत का इंतकाल उसके वारिसों के हक में दर्ज किया जाना है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड ताहाल में मृतक हरदयाल के पिता का नाम भूरुराम के स्थान पर भूरू-भूरा-भूराराम-भैरुराम दर्ज हो गया है। जबकि अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड में मृतक हरदयाल के पिता का नाम भूरुराम दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में मृतक हरदयाल के पिता का नाम भूरू राम के स्थान पर भूरू-भूरा-भूराराम-भैरुराम दर्ज होने के कारण मृतक हरदयाल का इंतकाल विरासत तस्दीक नहीं हुआ है। उक्त गलती स्लीपिंग ऑफ दी पैन की गलती है जो एक तकनीकी लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है। जिसे दुरुस्त किये जाने में कोई बाधा नहीं है। प्रार्थी उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन हरदयाल पुत्र भूरू, हरदयाल पुत्र भूरा, हरदयाल पुत्र भूराराम, हरदयाल पुत्र भैरुराम को कलमजन कर उसके स्थान पर हरदयाल पुत्र भूरुराम के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराने हेतु निवेदन किया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ज नोटिस तलब किया गया।


पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प भण्डवाडा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना। पटवारी हल्का भण्डवाडा ने मौका पर्चा पेश किया, मौका पर्चा में अंकन किया है कि भूरुराम पुत्र प्राणा जाति अहीर के नाम की तस्दीक करने पर मौके पर ज्ञात हुआ कि भूरुराम पुत्र प्राणा की मृत्यु दिनांक 13.01.1978 को हो चुकी है। इनको ग्राम में निम्न नामों से जाना जाता है: भूरुराम, भूरू, भूरा, भूराराम, भैरुराम जो कि एक ही व्यक्ति के उपनाम है। जिसका मूल नाम भूरुराम पुत्र प्राणा जाति अहीर है। जिसकी तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत भण्डवाडा एवं उपस्थित ग्रामवासियों ने की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भण्डवाडा, हरदयाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2019, आधार कार्ड, फोटोप्रति जमाबन्दी नया खाता संख्या 19, 187, 180, 171, 86, 160, 22, 202, 20, 2, 198, 52, 44, 33, 32, 31, 267, 263, 262, 261, 256, 224, 72, 71, 257, 202, 190, 90, 89, 159, 158, 157, 153, 88, 87, 82, 30, 25 सम्वत 2069-2074, 2071-2074 का आधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार अलवर को, प्रार्थी की वाके ग्राम लोधाडी तहसील अलवर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 198 का 1/20 भाग, खाता संख्या नया 2 का 41/220 हिस्सा, खाता संख्या नया 20 का 2/75 हिस्सा, खाता संख्या नया 202 का 2/5 हिस्सा, खाता संख्या नया 22 का 2/75 हिस्सा, खाता संख्या नया 25 का 2/375 हिस्सा, खाता संख्या नया 30 का 1/165 हिस्सा, खाता संख्या नया 82 का 1/30 हिस्सा, खाता संख्या नया 86 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या नया 87 का 1/10 हिस्सा, खाता संख्या नया 88 का 14/75 हिस्सा, खाता संख्या 153 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या नया 157 का 14/675 हिस्सा, खाता संख्या 158 का 34/2175 हिस्सा, खाता संख्या नया 159 का 2/125 हिस्सा, खाता संख्या 89 का 24/125 हिस्सा, खाता

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर (राजो)

संख्या नया 90 का 1/65 हिस्सा, खाता संख्या 160 का 1/50 हिस्सा, खाता संख्या नया 86 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या नया 171 का 9/38 हिस्सा, 180 का 1/105 हिस्सा, खाता संख्या नया 187 का 3/290 हिस्सा, खाता संख्या नया 19 का 2/75 हिस्सा एवं ग्राम नोरंगाबाद तहसील अलवर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 190 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 202 सम्पूर्ण खाता, खाता संख्या नया 257 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 71 का 1/5 हिस्सा, खाता संख्या नया 72 का 1/5 हिस्सा, एवं ग्राम भण्डवाडा तहसील अलवर में स्थित आराजी खाता संख्या 224 का 1/45 हिस्सा, खाता संख्या नया 256 का 2/225 हिस्सा, खाता संख्या नया 261 का 1/75 हिस्सा, खाता संख्या 262 का 14/625 हिस्सा, खाता संख्या 263 का 53/2100 हिस्सा, खाता संख्या नया 267 का 154/6375 हिस्सा, खाता संख्या नया 31 का 2/75 हिस्सा, खाता संख्या नया 32 का 14/2025 हिस्सा, खाता संख्या नया 33 का 1/50 हिस्सा, खाता संख्या नया 44 का 14/2175 हिस्सा, खाता संख्या नया 52 का 2/1125 हिस्सा, खाता संख्या नया 161 के राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन हरदयाल पुत्र भूरु, हरदयाल पुत्र भूरा, हरदयाल पुत्र भूराराम, हरदयाल पुत्र भैरु राम को कलमजन कर हाल व साबिक जमाबन्दियों में हरदयाल पुत्र भूराराम के नाम का अंकन दर्ज करने के, आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प भण्डवाडा मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल )

उपसचिव अधिकारी

अलवर (राज०)